संख्या- 4/2019/532/12-3-2019-100(09)/2018टी.सी.

प्रेषक

जी. एस. नवीन कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 10 जून, 2019**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./87/लेखा-7/19-20, दिनांक 30.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **धनराशि रू0 430.20 लाख (रू0 चार करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रस	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		वर्ष **2018-19** हेतु मात्राकृत	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
1	Strategic control of subclinical parasitism for better animal health and enhanced productivity in U.P.	पी.डी.यू. मथुरा	03.07.2017 04.12.2017	124.31	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	51.76
2	Unit of Silage making and popularization of low cost silage technology for year round fodder availability for small scale farmers		20.12.2016 04.12.2017	90.91	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	25.08
3	Establishment of small scale feed processing demonstration unit to promote rural youth entrepreneurship (Part-II)		10.05.2018	190.27	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	76.10
4	Establishment of environment controlled chamber and calorimetric unit to enhance productivity of livestock in the scenario of climate change in U.P.		20.12.2016 04.12.2017	260.14	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	7.64
5	Establishment of modernized goat farm for strengthening goat husbandry practices in U.P. (Part-II Supplementary)		10.05.2018	163.00	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-	55.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रस	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	एस0एल0एस0सी0 अनुमोदन		वर्ष **2018-19** हेतु मात्राकृत	स्वीकृत धनराशि
			बैठक दिनाँक	धनराशि		
					कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	
6	Propagation of insemination techniques in goats and etablishment of semen bank for enhanced productivity and socio-economic upliftment in State of U.P.		21.11.2016 04.12.2017	312.15	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	5.65
7	Establishment of referral laboratory for quality evaluation of milk and milk products.		03.07.2017	183.40	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	100.00
8	Establishment of small scale feed processing demonstration unit to promote rural youth entrepreneurship		04.12.2017	236.27	अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के+रा.) 0205-कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएॅ (के.60/रा.40-के+रा.) **35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान**	108.97
योग						**430.20**

(रू0 चार करोड़ तीस लाख बीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा। उक्त लेखाशीर्षक में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

5- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03..2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र रकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभाथ्र्ाी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभाथ्र्ाी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

9- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

की पूर्वानुमति के बगैर बैंक खातों में न जमा की जाय। उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि अपरिहार्य हो तो शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान छम्थ्ज्ध्त्ज्ळै के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्ाी के खाते में सीधे केरडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

12- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक/संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

13- संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति/संस्थाओं के प्रमुख जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय तथा लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। लाभार्थियों की सूची तथा उन्हें दिये गये लाभों का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।

14- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा।

15- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपर्युक्त तालिका में अंकित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438 /दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019- 231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी. एस. नवीन कुमार)
विशेष सचिव

सं0- 4/2019/532(1)/12-3-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
12- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी. एस. नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in